***जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.12.2024***

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार***

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***पीआरवी आफ द डे***

***पीआरवी 6005 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–*** पीआरवी 6005 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत सेमडाड़ से इवेंट सं0 **48189** द्वारा कालर दिनेश कुमार प्रजापति ने मो0नं0 8601689326 से विवाद मारपीट के कारण मारपीट मे 04 व्यक्तियों (01. ममता पत्नी परमात्मा 02. कैलाश पुत्र मंगल 03. महेन्द्र पुत्र कैलाश 04. सुखराजी पत्नी उदयराज निवासीगण सेमडाड़ (रक्साकोल) थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को ईलाज हेतु सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 प्रवीण कुमार, हो0चा0 महेन्द्र यादव ।**

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 74 वाहनों से 81,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 04.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 74 वाहनों से 81,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 424/2024 धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता शैलेश कुमार पुत्र बहादुर निवासी पदुमपट्टी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.11.2024 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग नतिनी को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.11.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 04.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*** उ0नि0 श्री अमित कुमार।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास व 15000 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 04.12.2024 को न्यायालय ***अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) जनपद संतकबीरनगर***द्वारा ***थाना धनघटा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/2015 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता महमूदुल हसन उर्फ अब्बू पुत्र गौस मोहम्मद निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास से भुगतना होगा तथा अन्तर्गत धारा 363 भा0द0वि0 के तहत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को धारा 366 भा0द0वि0 में तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी व दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को समायोजित किया जायेगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 20000 रु0 पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।